बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक सं0 – वि0 प्रा0 (III)व 3 – 337/2001   2220   पटना, दिनांक –23. 1. 2001

प्रेषक,

श्री कमला कान्त प्रसाद,
उप–निदेशक (तक.)

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक,/सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक।

विषयः– संस्थानों में ट्रेनिंग एण्ड प्लेटमेंन्ट कोषांग को प्रभावी बनाने एवं छात्रों/छात्राओं को नियोजन के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि संस्थानों में ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट कोषांग की अवधारण पूर्व से ही रही है जिसके अधीन संस्थानों से उतीर्ण डिप्लोमाधारियों को प्रशिक्षु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रशिक्षण को सुविधा एवं उनके नियोजन के व्यापक अवसर सुलभ कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की अपेक्षा रही हैं।

विगत वर्षों में संस्थानों द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग को सूचनायें नियमित रूप से उपलब्ध नहीं करायी गई हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने संस्थान के ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट कोषांग को सक्रिय बनाने हेतु समुचित कार्रवाई करने का कष्ट करे एवं विगत 3 वर्षों में संस्थनों के उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं के प्रशिक्षण तथा नियोजन से संबंधित आंकड़े दिनांक 23.1.2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन
ह०/–
उप –निदेशक, (तक)